भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 767

दिनांक 02.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन

767 श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है जिससे कि देश में नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति की जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक विभिन्न राज्यों में ऐसी कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं;

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने देश के सभी घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक विभिन्न राज्यों द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं आदि में नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए आयोजना, कार्यान्वयन तथा अब तक की गई प्रगति की समीक्षा शामिल है। हाल ही में महाराष्ट्र और ओडिशा के साथ मध्यवर्षीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी। इन बैठकों में, राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे एक समयबद्ध तरीके से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाएं।

अगस्त, 2019 में जेजेएम के शुभारंभ के समय महराष्ट्र के 47.46 लाख (33.34%) परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 29.11.2021 के अनुसार, राज्य में कुल

142.36 लाख परिवारों में से, 95.90 लाख (67.37%) परिवारों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

इसी प्रकार, ओडिशा में मिशन के शुभारंभ के समय 31.07 लाख (36.27%) परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार, 29.11.2021 के अनुसार, कुल 85.67 लाख परिवारों में से, 34.18 लाख (39.90%) परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) और (घ): जेजेएम के तहत जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने वार्षिक आवंटन का 2% तक का उपयोग कर सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे प्रयोगशालाओं के विभिन्न स्तरों यानि राज्य, जिले, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर उन्नयन करें और एनएबीएल प्रत्यायन और/अथवा मान्यता प्राप्त करें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 28.11.2021 के अनुसार देश में स्थापित विभिन्न स्तर की पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आम जनता के लिए इन प्रयोगशालाओं को खोलें ताकि वे नाममात्र दरों पर जल के नमूनों की जांच करा सकें।

(ङ) और (च): वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है। दिनांक 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अभी तक अन्य 5.34 करोड़ (27.78%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, आज की तारीख के अनुसार देश के 19.22 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 8.57 करोड़ (44.6%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है।

जेजेएम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समय-सीमा तय की है जो निम्नानुसार हैं:

2020	2021	2022	2023	2024
गोवा	तेलंगाना बिहार पुडुचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	गुजरात हिमाचल प्रदेश हरियाणा लद्दाख मणिपुर मेघालय पंजाब सिक्किम जम्मू एवं कश्मीर उत्तराखंड	अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश मिजोरम नागालैंड तमिलनाडु त्रिपुरा	असम आंध्र प्रदेश झारखंड महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल

गोवा, तेलंगाना,हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी एवं दमन व दीव और दादरा व नागर हवेली में सभी ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है।

(छ): वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान जेजेएम के तहत आवंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 02.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

दिनांक 28.11.2021 के अनुसार देश में स्थापित पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं	जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं	ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं	उप-मंडल स्तरीय प्रयोगशालाएं	मोबाइल प्रयोगशालाएं	कुल प्रयोगशालाएं
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	0	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	1	13	0	98	0	112
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	17	0	30	1	49
4.	असम	1	25	0	51	3	80
5.	बिहार	1	38	0	75	9	123
6.	छत्तीसगढ	1	27	0	22	18	68
7.	गोवा	1	0	0	13	0	14
8.	गुजरात	1	32	47	0	1	81
9.	हरियाणा	1	21	0	21	1	44
10.	हिमाचल प्रदेश	1	14	0	43	0	58
11.	जम्मू एवं कश्मीर	0	20	2	70	0	92
12.	झारखंड	1	24	1	4	0	30
13.	कर्नाटक	2	30	0	47	1	80
14.	केरल	1	14	0	37	0	52
15.	लद्दाख	0	2	0	4	0	6
16.	मध्य प्रदेश	1	51	0	103	0	155
17.	महाराष्ट्र	0	34	0	143	0	177
18.	मणिपुर	1	12	0	0	0	13
19.	मेघालय	0	7	0	24	0	31
20.	मिजोरम	1	8	0	18	0	27
21.	नागालैंड	1	10	0	0	1	12
22.	ओडिशा	1	32	0	44	0	77
23.	पुदुचेरी	0	2	0	0	0	2
24.	पंजाब	2	22	8	0	1	33
25.	राजस्थान	1	32	0	0	21	54
26.	सिक्किम	0	2	0	0	0	2
27.	तमिलनाडु	1	31	25	56	0	113
28.	तेलंगाना	1	19	0	55	0	75
29.	त्रिपुरा	1	8	6	6	0	21
30.	उत्तर प्रदेश	1	75	0	0	5	81
31.	उत्तराखंड	1	13	0	13	0	27
32.	पश्चिम बंगाल	1	21	0	196	2	220
	कुल	**28**	**656**	**89**	**1173**	**66**	**2,012**

[स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस]

अनुबंध-II

दिनांक 02.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

वर्ष 2019-20 के दौरान जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन, आहरित निधि और उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		जमा शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1.78	0.5	0.5	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	54.8
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	126.14	13.35
4.	असम	359.35	694.95	442.36	801.71	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ	31.58	208.04	65.82	97.4	39.23	37.55
7.	गोवा	0	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
8.	गुजरात	0	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
9.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.8
10.	हिमाचल प्रदेश	0	148.67	205.83	205.83	197.87	15.46
11.	जम्मू एवं कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
12.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	366.98	114.58	119.71
13.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	492.24	297.87
14.	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
15.	लद्दाख	8.1	166.65	67.86	75.96	NR	0.65
16.	मध्य प्रदेश	1.26	571.6	571.6	572.86	326.65	288.75
17.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.4	308.04	428.14
18.	मणिपुर	0	67.69	91.17	91.17	28.2	6.6
19.	मेघालय	0.8	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
20.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
21.	नागालैंड	0	56.49	56.49	56.49	23.54	4.67
22.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	275.02	255.02
23.	पुदुचेरी	1.27	2.5	एनडी	1.27	0.97	एनआर
24.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.2
25.	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	698.54
26.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	26.99	14.71	1.48
27.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.1	374.59	114.58	99.14
28.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	110	88.33	74.46
29.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	194.31	59.45	6.46
30.	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	639.32	380.1
31.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
32.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609	445.03

अनुबंध-II (जारी...)

दिनांक 02.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

वर्ष 2020-21 के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत केंद्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन, आहरित निधि और उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		जमा शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	2.93	1.46	1.96	1.45	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	427.73	180.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.56	254.85	344.85	402.41	392.43	32.05
4.	असम	452.45	1,608.51	551.77	1004.22	880.44	90.02
5.	बिहार	257.18	1,839.16	353.6	610.78	551.82	374.42
6.	छत्तीसगढ	58.17	445.52	334.14	392.31	223.8	221.1
7.	गोवा	0	12.41	6.2	6.2	2.99	13.49
8.	गुजरात	5.7	883.08	983.08	988.78	838.5	883.43
9.	हरियाणा	90.8	289.52	72.38	163.18	130.94	120.17
10.	हिमाचल प्रदेश	7.95	326.2	547.48	555.43	329.01	42.25
11.	जम्मू एवं कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
12.	झारखंड	268.39	572.24	143.06	411.45	286.62	177.73
13.	कर्नाटक	80.42	1,189.40	446.36	526.78	349.62	416.38
14.	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
15.	लद्दाख	75.96	352.09	एनडी	75.96	9.43	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.13	960.09	1206.3	1,014.70	875.99
17.	महाराष्ट्र	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.16
18.	मणिपुर	62.96	131.8	141.8	204.76	189.14	18.52
19.	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.38	188.3	20.44
20.	मिजोरम	30.77	79.3	104.3	135.07	107.9	10.13
21.	नागालैंड	34.9	114.09	85.57	120.47	91.95	10
22.	ओडिशा	90.5	812.15	609.11	699.61	688.69	673
23.	पुदुचेरी	0.3	4.64	1.06	1.36	0.2	1
24.	पंजाब	257.1	362.79	एनडी	257.1	146.74	104.95
25.	राजस्थान	995.07	2,522.03	630.51	1625.58	762.04	789.05
26.	सिक्किम	12.3	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
27.	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.97	399.57
28.	तेलंगाना	31.1	412.19	82.71	113.81	61.17	133.98
29.	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	253.92	195	22.26
30.	उत्तर प्रदेश	932.16	2,570.94	1,295.47	2227.63	1,761.06	886.94
31.	उत्तराखंड	66.6	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
32.	पश्चिम बंगाल	1,146.58	1,614.18	807.08	1953.66	1,196.07	641.17

दिनांक 02.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

वर्ष 2021-22 के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत केंद्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन, आहरित निधि और उपयोग (दिनांक 28.11.2021 के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		जमा शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	146.65	3,182.88	एनडी	146.65	46.76	39.38
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.98	1,013.53	506.77	516.75	229.67	29.41
4.	असम	123.78	5,601.16	1,400.29	1524.07	1,008.87	99.04
5.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	58.95	0.33	64.08
6.	छत्तीसगढ	168.52	1,908.96	453.71	622.23	117.17	159.03
7.	गोवा	3.21	45.53	11.38	14.59	4.2	4.2
8.	गुजरात	150.28	3,410.61	1,705.31	1855.59	944.78	942.28
9.	हरियाणा	32.24	1,119.95	256.81	289.05	27.47	177.95
10.	हिमाचल प्रदेश	226.42	1,262.78	631.39	857.81	748.28	80.41
11.	जम्मू एवं कश्मीर	113.96	2,747.17	एनडी	113.96	8.2	एनआर
12.	झारखंड	137.93	2,479.88	512.22	650.15	80.23	154.97
13.	कर्नाटक	177.16	5,008.80	1,252.20	1429.36	604.23	623.77
14.	केरल	40.07	1,804.59	902.3	942.37	454.79	515.96
15.	लद्दाख	66.52	1,429.96	एनडी	66.52	33.59	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	2,558.39	2750	1,166.14	1,181.04
17.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	एनडी	268.99	110.2	165.35
18.	मणिपुर	15.62	481.19	240.59	256.21	238.26	25.36
19.	मेघालय	15.06	678.39	339.2	354.26	246.2	28.05
20.	मिजोरम	27.17	303.89	75.97	103.14	25.39	NR
21.	नागालैंड	28.52	444.81	111.2	139.72	97.58	एनआर
22.	ओडिशा	10.93	3,323.42	830.85	841.78	443.33	523.5
23.	पुदुचेरी	1.18	30.22	एनडी	1.18	0.92	एनआर
24.	पंजाब	110.36	1,656.39	एनडी	110.36	102.72	94.76
25.	राजस्थान	863.53	10,180.50	एनडी	863.53	367.55	470.43
26.	सिक्किम	8.29	124.79	62.39	70.68	33.65	4.63
27.	तमिलनाडु	377.48	3,691.21	614.35	991.83	118.37	178.67
28.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	55.15	6.73	17.87
29.	त्रिपुरा	61.51	614.09	307.05	368.56	252.44	29.18
30.	उत्तर प्रदेश	466.56	10,870.50	2,398.62	2865.18	1,791.50	580.8
31.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	360.95	472.17	264.18	30.59
32.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	2162.19	347.55	184.2

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस　　एनडी: आहरित नहीं　　एनआर: सूचित नहीं